न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :—2019 / 00052

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी की पत्रावली न्यायालय में दिनांक 19.8.19 से जैरकार है। काफी समय बीतने के बावजूद प्रार्थी ने यह साबित नहीं किया कि उसको अस्थाई निषेधाज्ञा ना मिलने से क्या अपूर्तिनीय क्षति हो रही है या क्या असुविधा होगी। इससे यह प्रतीत होता है की प्रार्थी को स्थगन ना मिलने से कोई नुकसान नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली में आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)